भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **4327**

दिनांक 18 जुलाई , 2019 / 27 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

किफायती विमान यात्रा

4327. श्री विजय कुमार:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आम लोगों के लिए विमान यात्रा को किफायती बनाने के संबंध में कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) विशेषकर बिहार के गया जिला सहित पूरे देश के उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां उक्त योजना को कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) : मौजूदा अल्पसेवित और असेवित हवाईअड्डों पर क्षेत्रीय वायु संपर्कता को बढ़ाने/ प्रोत्साहित करने तथा जन-साधारण के लिए हवाई यात्रा वहनीय बनाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने 21-10-2016 को क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस)- उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) आरंभ की। आरसीएस- उड़ान के अंतर्गत एयरलाइन प्रचालकों को समर्थन प्रदान करते हुए क्षेत्रीय वायु संपर्कता को वहनीय बनाने की परिकल्पना निम्नलिखित के ज़रिये की गई: (i) क्षेत्रीय मार्गों पर एयरलाइन प्रचालकों की लागत को कम करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा रियायतें और (ii) क्षेत्रीय मार्गों पर एयरलाइन प्रचालनों की लागत और अपेक्षित राजस्व के बीच, यदि कोई हो तो, अंतर को पूरा करने के लिए, वित्तीय समर्थन (व्यवहार्यता अंतर-वित्त पोषण)। आरसीएस- उड़ान एक बाज़ार आधारित व्यवस्था है। एयरलाइनें विशिष्ट मार्गों पर अपेक्षित मांग एवं आपूर्ति के प्रकार का आकलन करती हैं और समय-समय पर आरसीएस- उड़ान के अंतर्गत पारदर्शी बोली प्रक्रिया में भाग लेती हैं।

(ख) : गोवा, मिज़ोरम, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर और नागर हवेली तथा लक्षद्वीप के अतिरिक्त 30 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने अपने सम्बद्ध राज्यों में आरसीएस- उड़ानों के प्रचालनीकरण हेतु नागर विमानन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

आरसीएस- उड़ान के प्रावधानों के अनुसार, गया एक सेवित हवाईअड्डा है और अतः आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत शामिल नहीं है।

*****